INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

मीडिया के सिद्धांत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(Media Principles and Freedom of Expression)

ऋतु मिश्र
पी-एच.डी. शोधार्थी,
(सत्र : 2018-19)
रेनेसां यूनिवर्सिटी,
इंदौर (मध्य प्रदेश, भारत)

डॉ. दीपमाला गुप्ता
शोध निर्देशक,
रेनेसां यूनिवर्सिटी,
इंदौर (मध्य प्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/02.2023-69683359/IRJHIS2302006

शोध सार *:*

प्रस्तुत शोध पत्र मीडिया सिद्धांत तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में दृष्टि डाले जाए तो मीडिया उन प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति की जरूरत के अनुसार मीडिया के लिए उपयोगी हैं। मीडिया सिद्धांत को अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित करने लिए खासतौर से संचार प्रौद्योगिकी के बीच बदलते तकनीकी आयाम के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। मानव जाति जिस गति से बढ़ रही है, उसके अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की पहचान है। मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि व्यक्ति की सही अभिव्यक्ति को आम जनता तक पहुंचाए। इसी संदर्भ में मीडिया सिद्धांत को पहली बार सन् 1964 में मार्शल मैक्लुहान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जबकि मीडिया पारिस्थितिकी शब्द को पहली बार औपचारिक रूप से सन् 1968 में नील पोस्टमैन द्वारा प्रयुक्त किया गया था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखे जाने वाले मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सन् 1976 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को निर्वचित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका मौलिक अधिकार है। किसी भी देश के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

बीज शब्द *: मीडिया सिद्धांत, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता,*

प्रस्तावना :

प्रस्तुत मीडिया सिद्धांत पर बारीकी से दृष्टि डालें तो बहुत सारी अवधारणा स्पष्ट हो जाएंगी। इस संदर्भ में अगर मैजिक बुलेट थ्योरी या ट्रांसमिशन बेल्ट तथा हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के सिद्धांत पर दृष्टि करें तो ज्ञात होगा कि मीडिया का संदेश बहुत शक्तिशाली होता है। दर्शकों के दिमाग और शरीर में एक तरह से संदेश को इंजेक्ट किया जाता है। हाइपोडर्मिक सुई या जादू बुलेट सिद्धांत को मीडिया प्रभावशाली बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसे विशेष रूप से

निर्वचित किया जाए तो आम जनता के संदर्भ में मील का पत्थर प्रमाणित हुआ है। मीडिया प्रभाव के कई अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मीडिया संदेश बहुत प्रभावकारी होता है तथा दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी संदेश को किस तरह से लेते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। उसी के अनुसार मीडिया में भी कन्टेंट दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वैकल्पिक मीडिया में धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। आप हर सोशल साइट पर देख सकते हैं कि एजेंडा सेटिंग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। एजेंडा सेटिंग कॉन्सेप्ट के साथ फ्रेमिंग थ्योरी का घनिष्ठ रूप से संबंध है। फ्रेमिंग का कहना है कि मीडिया कुछ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसके कुछ विचारों को एक विशिष्ट क्षेत्र में रखता है। फिर उसके प्रभाव से विचार निर्मित करता है। पुन: मीडिया आम जनता के दिमाग में दुनिया भर की तस्वीरें डालता है। जिस तरह से साइलेंस थ्योरी का सर्पिल सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मौजूदा मीडिया-निर्मित विचार के विरोध में जाकर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है। अवसर मिलते ही इसका प्रयोग सम्यक तरीके करता है।

अधिनायकवादी सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रकार के संचार, सूचना के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय खतरों से बचाने के लिए मीडिया पर निगरानी करना आवश्यक है। अगर कोई सूचना समाज हित के लिए सार्थक नहीं है तो प्रेस अधिकारियों के पास किसी भी मीडिया को अनुमति देने और मीडिया को सेंसरशिप करने का पूरा अधिकार है। उदारवादी सिद्धांत कहता है कि लोग बुरे से अच्छे विचारों को खोजने और उनका न्याय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मीडिया के लोग तर्कसंगत और उन्नत विचार के लिए जाने जाते हैं और उनके तर्कसंगत विचार ही हमें अच्छे और बुरे का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। उदारवादी सिद्धांत की अवधरणा है कि प्रेस को कुछ भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, यहां तक कि एक नकारात्मक सामग्री भी ज्ञान दे सकती है और सबसे खराब स्थिति में बेहतर निर्णय ले सकती है। उदारवादी विचार अधिनायकवादी सिद्धांत के विपरीत है। सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत बिना किसी सेंसरशिप के मुक्त प्रेस की अनुमति देता है साथ ही बताता है कि सार्वजनिक पैनलों में प्रेस की सामग्री पर चर्चा किया जाना चाहिए और मीडिया को सार्वजनिक हस्तक्षेप या पेशेवर स्व-नियमन या दोनों में से किसी भी एक दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। सोवियत मीडिया सिद्धांत लेनिनवादी सिद्धांतों का अनुकरण करता है। जो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की विचारधारा पर आधारित है। सरकार कामगार वर्गों और उनके हितों की सेवा के लिए संपूर्णमीडिया और संचार पर कार्य करती है। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य के पास लोगों के लाभ के लिए किसी भी मीडिया को नियंत्रित करने की पूर्ण शक्ति है।

संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों में अपनी अनुभूतियों (विश्वासों, मतों) के बीच स्थिरता की तलाश करने की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार मीडिया में अगर आप विचार से कनेक्ट नहीं कर पर रहे हैं तो उसके लिए स्थायी भाव ढूढ़ते हैं। शास्त्रीय बयानबाजी सिद्धांत की उत्पत्ति प्लेटो, अरस्तू और सुकरात जैसे प्राचीन विद्वानों के समय में जाकर देखी जा सकती है। यह सिद्धांत तब विकसित हुआ जब लोगों ने यह पहचानना शुरू किया कि श्रोताओं पर किस

प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक रूप से बोलने की क्षमता ने प्राचीन दुनियामें अपना महत्व प्राप्त किया। जिसका सही उदाहरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा है। संचार के लिए तर्क एक महत्वपूर्ण साधन है और यह हमारे समाज में सदियों से कायम है। इस सिद्धांत का मूल आधार था कि उन दिनों तकरार वाक्पटुता और तर्क पर आधारित होती थी।

गेटकीपिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं को प्रसार के लिए फिल्टर किया जाता है, चाहे वह प्रकाशन, प्रसारण, इंटरनेट या संचार के किसी अन्य माध्यम के लिए हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में निहित है, जो व्यापक रूप से उन मानवाधिकारों को निर्धारित करता है जो हम में से प्रत्येक के पास हैं। इसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों के समूह द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना हमेशा एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए प्रमुख हिस्सा रहा है और शक्तिशाली को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य मानवाधिकारों जैसे विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को भी रेखांकित करती है और उन्हें फलने-फूलने का अवसर देती है। सत्ता का कर्तव्य है कि वे घृणित, भड़काऊ भाषण पर रोक लगाएं, लेकिन कई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपराधिकरण करने वाले कानूनों को पारित करके शांतिपूर्ण असंतोष के भाव को शांत करने के लिए अभिव्यक्ति की अजादी जरूरी है। अक्सर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा या धर्म के नाम पर किया जाता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है- भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है।

संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए हैं जैसे : विचार की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और असंतोष का अधिकार को स्वस्थ्य और परिपक्व लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बाद ही लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। प्रत्येक समाज के कुछ स्थापित नियम होते हैं। समय के साथ इन नियमों में परिवर्तन आवश्यक है। अगर समाज इन नियमों की जड़ता में बंधा रहता है तो इससे समाज का विकास रुक जाता। समाज में नए विचारों का जन्म तात्कालिक समाज के स्वीकृत मानदंडों से असहमति के आधार पर ही होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पुराने नियमों और विचारों का ही अनुसरण करेगा तो समाज में नवाचार का आना रुक जाएगा। इसी समाज में अनेक कुप्रभाव बढ़ेंगे। उदाहरण के लिये नये विचारों और धार्मिक प्रथाओं का विकास तभी हुआ है जब पुरानी प्रथाओं से असहमति व्यक्त की गई।

मिस्र में सरकार की आलोचना करना बेहद खतरनाक है। 2018 के दौरान यहां अधिकारियों ने व्यंग्य, ट्वीट करने, फुटबॉल क्लबों का समर्थन करने, यौन उत्पीडन की निंदा करने, फिल्मों को संपादित करने और साक्षात्कार देने सहित कई बेतुके कारणों का हवाला देते हुए कम से कम 113 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी समूहों की सदस्यता और झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया गया है। महीनों तक मुकदमे के बिना हिरासत में लिए गए लोगों को अंततः मुकदमे का सामना करना पड़ा। उन्हें सैन्य अदालतों द्वारा सजा सुनाई गई, भले ही नागरिकों के सैन्य परीक्षण, मिस्र सहित कई जगहों पर स्वाभाविक रूप से अनुचित है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप ईरान, इराक और अफगानिस्तान को देख सकते हैं।

समाज की प्रगति का आधार नवाचार और जिज्ञासा में है। जिज्ञासा के अभाव में समाज का विकास रुक जाता है और वह तात्कालिक अन्य समाजों से पीछे रह जाता है। समय के साथ न चलने की स्थिति एक दिन भयावह रूप ले लेती है और इस प्रकार का असंतोष विध्वंसक होता है, जिससे समाज को व्यापक और दीर्घकालिक हानि उठानी पड़ती है। भारत के बड़े क्षेत्रों में फैले सामाजिक असंतोष कहीं न कहीं इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनके विचारों के प्रतिभाग का अभाव है। भारत जैसे सामाजिक संस्कृति वाले देश में सभी नागरिकों जैसे आस्तिक, नास्तिक और आध्यात्मिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है। इनके विचारों को सुनना लोकतंत्र का परम् कर्तव्य है। इनके विचारों में से समाज के लिये अप्रासंगिक विचारों को निकाल देना देश की शासन व्यवस्था का उतरदायित्व है। मैक्लुहान की उक्ति की भावना का पालन करते हुए कि माध्यम ही संदेश है। इस विचार से खुद को दूर करते हुए कि मीडिया संदेशों के माध्यम द्वारा अतिनिर्धारित किया जाता है, हालांकि, भूगोल के प्रति चौकस अधिकांश मीडिया अध्ययन अधिक अनुभवजन्य, उन्मुख रुख किये जाते हैं।

- **भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता** : हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और इसे खोए बिना सीमित नहीं किया जा सकता है : **थॉमस जेफरसन**

- **हर्बर्ट हूवर भाषण** और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय से एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मुक्त समाज की पहचान रही है। इसे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लिए बुनियादी और अविभाज्य माना गया है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र लोगों के हाथों में है और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को महज पशु अस्तित्व के बजाय सम्मान के साथ जीने के लिए दिया गया एक माध्यम है। मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के बिना लोकतंत्र कोई लोकतंत्र नहीं है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ 15 में भगवती जे. ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। लोकतंत्र अनिवार्य रूप से स्वतंत्र बहस और खुली चर्चा पर आधारित है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि लोकतंत्र का

अर्थ लोगों द्वारा लोगों की सरकार है, तो यह स्पष्ट है कि प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए।

➢ **मिश्रा, चंद्र प्रकाश. (2021). मीडिया लेखन (सिद्धांत और व्यवहार). नई दिल्ली : संजय प्रकाशन.**

प्रस्तुत पुस्तक मीडिया लेखन (सिद्धांत और व्यवहार) में चंद्र प्रकाश मिश्रा ने मीडिया के व्यवहारिक अध्ययन को बड़ी बारीकी से उकेरा है। लेखन करते समय मीडिया के अध्येताओं के लिए व्यवहारिक अध्ययन में आने वाले कन्टेंट को देने का कार्य किया है। मीडिया में होने वाले व्यवहारिक कार्य को विशेष रूप से इस पुस्तक में विवेचित किया है। जिसमें फाइब डब्लू प्लस वन एच के व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा की गई है। साथ ही मीडिया में सूचना के महत्वपूर्ण स्रोतों को बताया गया है। मास मीडिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी से हर दिन करोड़ो लोग लाभवान्वित हो रहे हैं। मीडिया जनता के बीच वोटिंग के नतीजों से लेकर जनता की नीति-निर्धारण तक की प्रकिया जनता के सामने रखने का कार्य करती है। इसमें बताया गया है कि मीडिया लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। मीडिया के सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने का अवसर दिया है जो विद्यार्थियों के लिए मददगार है।

➢ **मेहता, एस मेहता. (2016). मीडिया लेखन सिद्धांत एवं प्रयोग. राजस्थान. रावत प्रकाशन.**

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक एस मेहता हैं। इस पुस्तक में मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है और सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जाए इस बारे में भी दृष्टि डाली है। कानूनी सिद्धांतों का विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तत्व है। गुणात्मक शोध के आधार पर, अनुभवजन्य साक्ष्य इंगित करता है कि यद्यपि छात्र-शिक्षक इस तथ्य से अवगत हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का कितना महत्व है? इस पुस्तक में विस्तृत चर्चा है। अभिव्यक्ति के अधिकार के अभिप्राय से यह स्पष्ट होता है कि मीडिया के छात्र तथा शिक्षकों को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व का बोध होना कितना जरूरी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया, लोकतंत्र और शासन के बीच संतुलन बनाए रखे। मीडिया ने अभी तक व्यवहार में अधिकार को लोकतंत्र के साथ संतुलित करने की प्रक्रिया को आत्मसात किया है। यह शुभ संकेत है क्योंकि मीडिया अपने विचारों के लिए जाना जाता है। विकासशील लोकतंत्र में छात्रों को महत्वपूर्ण विचारकों और स्वायत्त नागरिकों के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षकों को स्कूलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आवेदन को समझना चाहिए और उसमें महारत हासिल करनी चाहिए।

➢ **दिनेश शक्ति त्रिखा . (2009). पत्रकारिता और प्रेस विधि. दिल्ली : आकृति प्रकाशन.**

सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है परंतु प्रश्न यह है कि इस अधिकार में सार्वजनिक रूप से किसी बात

को रखने से पहले यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या रखें और क्या नहीं? यह चुनाव ही महत्वपूर्ण है। चूंकि लिखित या मौखिक रूप से जब आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो समाज, राष्ट्र और संप्रभुता को ध्यान रखते हुए प्रतिक्रिया दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत भी कुछ प्रतिबंध हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकता है। निम्नलिखित आधारों पर जनता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अपराध के लिए उकसाना। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अभिव्यक्ति का यह अधिकार हमें आलोचना करने का अधिकार देता है और राज्य को ठीक से काम करने के लिए कहता है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें अस्तित्व से बढ़कर कुछ देती है, यह हमें गरिमा के साथ जीने का कारण देती है। यह हमें एक सामाजिक प्राणी बनाती है। यह एक विरोधाभास है कि हर तानाशाह अभिव्यक्ति की आजादी की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता में आया है। सत्ता प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रत्येक तानाशाह ने अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मुक्त भाषणों को दबा दिया है। डुहाइम के कानून शब्दकोश में भाषण को परिस्थितियों में एक विचार की अभिव्यक्ति जहां यह संभावना है कि संदेश समझा जाएगा के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि मौखिक, लेखन, मुद्रण, चित्र, फिल्म, चलचित्र आदि के माध्यम से भाषण जनता के लिए विचारों और मतों की अभिव्यक्ति है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में कहा गया है। हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।

- **शोउरी, राम स्वरूप, गोयल, सीता राम. (1998). फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन : सेकुलर थीयोक्रेसी वरर्सेस लिबरल डेमोक्रेसी.आएसबीएन संख्या 9351365921.**

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वस्तुत: वह स्वतंत्रता है जो मनुष्य को अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह सर्वविदित है कि विचारों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने का माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स, समाचार पत्र और पोस्टर आदि हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अन्तर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को समाचार पन्नों में लेख, आलेख, कार्टून आदि के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सीमित न होकर काफी विस्तृत है। इसमें केवल अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं आती है अपितु विचारों का प्रचार-प्रसार भी सम्मिलित है। यह एक ऐसा कारक है जो केवल प्रेस

अथवा पत्रकारिता के माध्यम से ही सम्भव है। व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करना एवं स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्तसामंजस्य स्थापित करने में सहायक होगा। यह एक ऐसा विषय है जो आरम्भ से विवादास्पद रहा है। यह तो हम देख चुके हैं कि प्रजातन्त्र की सफलता व उसके सफल संचालन के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। क्योंकि प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जो जन-साधारण को सरकार की गतिविधियों से अवगत रखा जा सकता है और सरकार को जन-साधारण की समस्याओं का आभास कराया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी स्वतन्त्रता पर पूर्व सेंसर का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कभी सकारात्मक उत्तर दिया गया तो कभी नकारात्मक। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतन्त्रता पर पूर्व सेंसर प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अभिव्यक्ति का अधिकार हमारी स्वायत्तता और स्वतंत्र इच्छा के लिए किसी व्यक्ति के आत्म-विकास के अधिकार के लिए और सत्य की खोज के लिए आवश्यक है। यदि लोकतंत्र की आवश्यकता के अनुसार नागरिक शासन करने में सक्षम हैं, तो यह अंततः लोगों द्वारा लोगों का शासन है। अगर नागरिकों को शासन करने में सक्षम होना है तो उन्हें उन लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, जिन्हें वे चुनते हैं और जो उन पर शासन करते हैं। उन्हें आलोचना करने, चुनौती पर सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जिसके लिए सूचना और विचारों तक पूर्ण पहुंच की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहिष्णुता सिखाती है और सहिष्णु समाज का निर्माण करती है। दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास आज इंटरनेटकनेक्शन है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, बोलने की स्वतंत्रता ने ऑनलाइन दुनिया में एक बड़ा मोड़ ले लिया है। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि के माध्यम से ऑनलाइन अपने विचारों की अभिव्यक्ति के कारण होते हैं। अदालत और न्यायाधीशों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि असली अपराधी कौन है और किसे सजा मिलनी चाहिए। क्या इंटरनेट प्रदाता या सर्च डेटाबेस इंजन या सोशल नेटवर्क ऐप या प्रकाशक इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं या वे सभी इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं। विचारों के रीट्वीट, शेयरिंग और कॉपी पेस्टिंग ने सस्पेंस पैदा कर दिया है कि असली प्रकाशक कौन है। तकनीक के विकास के साथ और साइबर सेल की मदद से आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है।

शोध उदेद्श्य :

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अध्ययन करना।
- मीडिया के सिद्धांत का अध्ययन करना।
- मीडिया के सिद्धांत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतरसंबंधोंका अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :

- अंतरवस्तुविश्लेषण

- विवरणात्मक

प्रदत्त के स्त्रोत:

द्वितीय माध्यम से प्रदत्त का संकलन किया गया हैं जिसमें इंटरनेट, वेबसाइट पुस्तक का सहारा लिया गया है।

शोध की प्रासंगिकता :

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को समाचार पन्नों में लेख, आलेख, कार्टून आदि के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। मध्य पूर्व देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस चल रही है। पड़ोसी देशों में मीडिया की अजादी पर कई बार प्रतिबंध लग चुका है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, इराक, ईरान आदि। साथ ही कई पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, अपहरण हो चुका है, कई आत्मघाती हमले के शिकार हो चुके हैं। अगर इन देशों की तुलना की जाए तो भारत में मीडिया की अजादी, अभिव्यक्ति की अजादी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से देखी जा सकती है। स्वतंत्र विचारों के आदान-प्रदान से व्यक्ति की स्थिति के बारे में पता चलता है। कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर क्या सोचता या सोचती है? इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि उसके विचार क्या हैं? इससे लाभ और हानि दोनों हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कह सकते हैं कि एक तरह से यह भोजन की तरह आवश्यक है। मीडिया विषयों पर ध्यान केंद्रित करके मीडिया संदेशों को तथा मीडिया सिद्धांतकारों द्वारा इनकोडिंग एवं डिकोडिंग द्वारा मीडिया विषय को समझने की कोशिश की गई है। नि:संदेह लोग मीडिया पाठों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं और उनके डिकोडिंग प्रथाओं के निर्धारक विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक कारकों से प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष :

व्यक्ति के विकास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भोजन और सांस की तरह है, इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के व्यक्तित्व में विकास हुआ है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अंश है। भारतीय सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 (1) की स्वतंत्रता प्रदान की है। इससे लोकतंत्र के नैतिक मूल्य में वृद्धि हुई है। सरकार का दायित्व है कि लोकतंत्र के नैतिक मूल्य में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्रता को पोषित करना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में अधिनायकवादी सरकार प्रतिबंधित करती है जबकि उदारवादी सिद्धांत के विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण अजादी प्रदान करता है, इसमें पूरा फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभिव्यक्ति की अजादी की कसौटी पर मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निर्वहन किया है। स्वतंत्र विचार के प्रकटीकरण से ही समाज की परिपक्वता प्राप्त हुई है। इससे स्वतंत्र विचार की नैतिकता, विभिन्न प्रकार के खुले विचार, बौद्धिकता, सरलता, सहजता

आदि विचार प्राप्त हुए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी से व्यक्ति सूचनाओं और विचारों को प्रकट करने के साथ-साथ अपने अधिकारों का सदुउपयोग करता है। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति से एक स्वस्थ लोकतंत्र की कामना की जा सकती है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार में से एक है। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विचार में उन्नति होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से लोकतंत्र सशक्त रहता है। स्वतंत्रता का अधिकार एक पोषित अधिकार है जो एक लोकतांत्रिक समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सार्वजनिक जीवन में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इस अधिकार का प्रयोग यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार कानून में मजबूती से स्थापित है। जो इस मौलिक और कसौटी के अधिकार का उल्लंघन करने की मांग करने वाले राज्यों के खिलाफ बाध्यकारी घरेलू और क्षेत्रीय निर्णय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। हालाँकि, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के विकास से दुनिया में आए नाटकीय बदलावों के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से पत्रकारों और मीडिया के लिए, अधिकार को नए तरीकों से चुनौती दी जा रही है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मौजूद अंतरराष्ट्रीय कानून और न्यायशास्त्र का लाभ उठाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. मिश्रा, चंद्र प्रकाश. (2021). मीडिया लेखन (सिद्धांत और व्यवहार). नई दिल्ली : संजय प्रकाशन.
2. मेहता, एस मेहता. (2016). मीडिया लेखन सिद्धांत एवं प्रयोग. राजस्थान. रावत प्रकाशन.
3. कोठारी ए सीआर. (2014). रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड एण्ड टेकनिक, नयी दिल्ली: न्यू ऐज इंटरनेशनल (प) लिमिटेड पब्लिशर.
4. दयान, डेनियल एवं काट्ज़, एलीहू. (1992). मिडिया ईवेन्ट. लंदन, इंग्लैंड : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. आईएसबीएन : 0-674-55956-8
5. लैम्बर्ट, ब्रूस, कल्किन एम., डॉ. जॉन. (1993-07-25). एसकॉलर मीडिया स्टडीड इफेक्ट ऑन सोसाइटी. द न्यूयॉर्क टाइम्स : आईएसएसएन: 0362-433111-30-2022
6. मैक्लुहान, मार्शल .(1964). अंडरस्टैंडिंग मीडिया : द एक्सटेंशन्स ऑफ मैन. (पहला संस्करण). मैकग्रा-हिल. आईएसबीएन 0-262-63159-8
7. वेबस्टर, फ्रैंक. (1995). थ्योरी ऑफ इन्फॉर्मेशन सोसाइटी. लंदन : रूटलेज आईएसबीएन:0-415-10574-9
8. सिंह, निकिता (जनवरी 2011) लव @ फेसबुक, नई दिल्ली: किंडल प्रकाशन।
9. द्विवेदी, संजय. (2013) सोशल नेटवर्किंग नये समय का संवाद. नेहा प्रकाशन एवं डिस्ट्रीब्यूटर: नई दिल्ली.

10. कुमार, रंजीत. (2014) शोध प्रणाली आरंभिक शोधकर्ताओं के लिए चरणबद्ध गाइड. सेज़ पब्लिकेशन इंडिया पीवीटी एलटीडी: नई दिल्ली.

11. सेठ, रोहण और प्रतीक वागरे, रामदेव की कोरोनिल सोशल मीडिया की भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ जंग में कैसे मुश्किलें बढ़ाईं 27 जून 2020 दि प्रिंट, डबल्यूडबल्यूडबल्यूहिंदी द प्रिंट डॉट इन/ सीपीआईएनआईओएन

12. सुमन, स्वर्ण, सोशल मीडिया: सम्पर्क क्रांति का कल, आज और कल -हार्पर कॉर्लि- पब्लिशर्स इण्डिया, संस्करण 2014 पृष्ठ संख्या- 19

13. श्रीवास्तव, मुकुल, सोशल मीडिया पर वायरल होते फेक न्यूज और वीडियो को ऐसे करें पड़ताल, 24 सितम्बर 2018, जागरण, डबल्यूडबल्यूडबल्यूजागरण.कॉम